

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....

03/सह0ब0योजना (आवंटन)-02/2026

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48,200 (अड़तालीस हजार दो सौ) मे0 टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे0 टन, 500 (पाँच सौ) मे0 टन एवं 1000 (एक हजार) मे0 टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू0 22,75,00,000/- (बाईस करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-304, दिनांक-28.08.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्त्रीम अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान मद में कॉलम- 03 में अंकित राशि का आवंटन दिया जाता है:-

क्र. सं.	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	मांग संख्या-09, मुख्यशीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उपशीर्ष- 0114-गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विपत्र कोड-09-2425001080114, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05-सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण।	18,20,00,000 /-
2.	मांग संख्या-09, मुख्यशीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विपत्र कोड-09-2425007890102, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05-सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण।	4,55,00,000 /-
	कुल	22,75,00,000 /- (बाईस करोड़ पचहत्तर लाख)



2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-236/वि०, दिनांक-09.03.2026 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2026 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-314/वि०, दिनांक-01.04.2026 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए उक्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराया सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....
महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक-30(आ०)/पटना, दिनांक-02/09/26
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सं०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

९


02.09.26
सरकार के अपर सचिव।